न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1012–दो/2009, विरूद्ध आदेश दिनांक 03–07–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 112/2007–08/अपील

.....

श्रीमती मालती बेवा श्री रमेश सिंह
निवासी ग्राम बसन्तपुरा, तहसील–रौन
जिला–भिण्ड, (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती रामकान्ती पत्नी श्री मुकुटसिंह
पुत्री जिलेदार सिंह, निवासी–ग्राम परोसा
पोस्ट–परोसा, तहसील मेहगॉव,
जिला–भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/2017 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने तहसीलदार रौन के समक्ष आवेदन दिनांक 05–03–07 प्रस्तुत कर बताया कि मौजा बसंतपुरा की भूमि सर्वे क्रमों 1252, 1622, 2508 कुल किता 3 रकबा 2.446 है0 के हिस्सा 1/16 इसी मौजे के खाता क्रमांक 79 कुल किता 8 कुल रकबा 2.477 है0 के भाग 1/6 मौजा नवलपुरा के खाता क्रमांक 35 कुल रकबा 0.219 है । सम्पूर्ण रकबे के तथा मौजा कोट के खाता क्रमांक 46 के रकबा 0.523 है0 के 1/6 भाग के ग्राम रओ की भूमि सर्वे क्रमांक 1181, 1182 कुल किता 2 कुल रकबा 3.156 के भाग 1/6 के तथा इसी मौजे की आराजी क्रमोंक 1176 रकबा 1.735 है0 के हिस्सा 1/18 तथा मौजा रओ भी भूमि सर्वे क्रमांक 1178 रकबा 2.153 है0 के हिस्सा 1/12 (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया) के जिलेदार सिंह भूमि स्वामी थे जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण भूमि की वसीयत आवेदिका के नाम कर दी थी जो कि उनकी पुत्रबधु थी। चूँकि जिलेदार की मृत्यु हो चुकी है । अतः मृतक के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाना है । इस पर तहसीलदार रौन ने प्रकरण 17/2006–07/अ–6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30–06–07 पारित कर दिया । पंजीयत वसीयत के आधार पर आवेदिका का नामान्तरण वादग्रस्त भूमि पर हो गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपील अनुविभागीय लहार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा प्रकरण क्र0 1090/2006–07/अपील पंजीबद्ध किया जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 17–12–07 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–06–07 निरस्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए वसीयतकर्ता जिलेदार सिंह के वारिसों के नाम 1/3, 1/3 हिस्से पर नामान्तरण व अमल के आदेश दिये गये । उक्त आदेश दिनांक 17–12–07 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्र0 112/07–08/अपील पर दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत का सही ढंग से परिसीलन न करते हुए आदेश दिनांक 03–07–2009 को अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी लहार के आदेश को स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2009 से दुःखी होकर आवेदिका द्वारा निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि वसीयतकर्ता जिलेदार सिंह विवादित भूमि के भूमिस्वामी थे उनके द्वारा अपनी बेवा पुत्रवधु श्रीमती मालती देवी आवेदिका के नाम सम्पूर्ण भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16–01–2007 के आधार पर प्रदान की गयी । वसीयतकर्ता द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में दी गवाहों के समक्ष उप–पंजीयक रौन के समक्ष वसीयत की गई थी । जिसमें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है । वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता का फोटो भी चस्पा किया गया था । वसीयत गृहिता आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय में विधिवत व स्वयं एवं गवाहों द्वारा वसीयत को सिद्ध किया है । उसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका के नाम नामान्तरण का आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। उभय अपीलीय न्यायालयों द्वारा वसीयत के तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों का अवलोकन किये बगैर वारिसाना नामान्तरण के आदेश देकर गम्भीर भूल की है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंतिम वसीयत को कानून में भी मान्यता दी गई है। वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए । वसीयतकर्ता की मानसिक दशा तथा गवाहों द्वारा प्रमाणित वसीयत पर शंका करना हास्यास्पद है । वसीयतकर्ता द्वारा उप–पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत की है । विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित मानकर नामान्तरण आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है । रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वत्व आवेदिका को है । उस स्थिति में वारिसों को कोई स्वत्व प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसाना नामान्तरण के आदेश देकर गम्भीर भूल की है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 16–01–07 को सही माना है, वहीं दूसरी ओर अनावेदिका को जिलेदार की पुत्री मानकर उत्तराधिकार के आधार पर विवादित भूमि का वैधानिक अधिकारी मानकर निष्कर्ष दिया गया है अपने आप में विरोधभासी निष्कर्ष है । वसीयत के मामले में उत्तराधिकार का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । कानून में भी अंतिम वसीयत को मान्यता दी गई है । (इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1997 आ0एन0–260 एवं 1999 आर0एन0, पेज नं0–332 एवं पेज नं0–181का उल्लेख किया गया), अंतिम पंजीकृत वसीयत के मामले में उत्तराधिकार को कानूनी मान्यता नहीं दी गई । वहां तो वसीयत का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । उत्तराधिकार के आधार पर अनावेदिका विवादित भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

उत्तराधिकार बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश साक्ष्य अधिनियम में वर्णित धारा–115 के प्रतिकूल है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदिका वसीयतकर्ता जिलेदारसिंह के निकट न रहकर ग्राम परोसा मेंहगांव में रहती थी उसका वादग्रस्त भूमि से अथवा वसीयतकर्ता से कोई सम्बन्ध नहीं था । आवेदिका द्वारा ही वसीयतकर्ता की सेवा –सुश्रुषा, दवा आदि की व्यवस्था अंतिम समय तक की जाती रही है तथा उनका गमभोज आदि आवेदिका द्वारा ही किया गया था । पंजीकृत वसीयत पर शंका जाहिर करना विधि संगत नहीं है । वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत होशोहवास तथा स्वस्थ मानसिक दशा में दो गवाहों के समक्ष उप–पंजीयक कार्यालय में की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत पर शंका जाहिर करना विधि विधान के विपरीत है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार रौन के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विरूद्ध व प्रचलित सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन न करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह कानूनन प्रक्रिया में पूर्ण न होने से निरस्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पैत्रिक सम्पत्ति होते हुए भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया इसलिये भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को कानून में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सुनवायी का पूर्ण अवसर न देकर कानूनी भूल की है । इसलिये भी कथित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । स्व0 जिलेदार सिंह के वारिसों के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई विचार न कर व रिकार्ड पर न लेकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रमाणित किया है । परन्तु वसीयत में भी वारिसों का कोई उल्लेख नहीं है । समस्त वारिसों के बारे में कोई प्रमाणीकरण न लेकर व उन्हें छिपाकर वसीयत लिखना व अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य आने के बाद भी इस

बिन्दु पर कोई विचार न कर गलत आदेश पारित किया गया है । कथित वसीयत न तो कानून की मंशा के अनुरूप लिखी गयी है और न कानूनी रूप से प्रमाणित हुयी है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सही मानकर वैधानिक भूल की है । अंत में अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा अंतिम तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय ने वसीयत के आधार पर नामांतरण किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह माना है कि विचारण न्यायालय ने सभी वारिसों को रिकार्ड पर लेकर/सुनकर आदेश पारित नहीं किया । उन्होंनें पैत्रृक सम्पत्ति मानकर वारिसान पर नामांतरण किया । लेकिन इस वारिसान नामांतरण में जो भाग वितरण दर्शाया है वह त्रुटिपूर्ण है । प्रकरण में पैत्रृक सम्पत्ति भी प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य नहीं ली गई । यदि विचारण न्यायालय ने सभी वारिसों को नहीं सुना था तो उन्हें प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु भेजना था । अपर आयुक्त ने भी इन तथ्यों को देखे बिना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है । अतः अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किए जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः साक्ष्य का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर